FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

धोधे खां बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट मु.नं. एवं सन 152/07 व 2007/00020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
27.02.2020	पत्रावली पेा हुई। वकील वादी व राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने निवेदन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 23.04.07 के अनुसार प्रा.पत्र आदेा 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार की जावे व बहस की अनुमति दी जावे क्योंकि दावा प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित करवाने का है जो कि नियमों के अनुकुल नहीं है। इस पर वकील वादी/प्रार्थी ने वन विभाग आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण आदेा 1 नियम 10 सीपीसी खारिज करने व बहस हेतु सहमति दी। राजपैरोकार द्वारा वन विभाग के उपस्थित नहीं आने के कारण एवं वादी का दावा ही चलने योग्य नहीं होने के कारण आदेा 1 नियम 10 सीपीसी के स्वीकार या अस्वीकार करने से इस वाद पर कोई असर नही होने का तर्क दिया। इस पर क्षेत्रिय वन अधिकारी ,रेंज बेरियांवाली के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके द्वारा पेा आदेा 1 नियम 10 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व राजपैरोकार व वादी को बहस की अनुमति दी गई। राजपैरोकार ने बहस भुरू करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रतिकुल कब्जे के आधार पर जरिये घोषणात्मक वाद खातेदारी चाही है जो कि राजकीय हित के प्रतिकुल है। वादी/प्रार्थी नियमानुसार राजस्थान उपनिवेा न (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 की धारा 21(ए) के तहत नियमानुसार प्रा.पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है अतः दावा चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। इस पर वकील वादी ने पृथक से प्रार्थना पत्र पेा करने हेतु समय चाहा। प्रार्थी/वादी को नियमानुसार अलग से वाद/प्रार्थना	

	पत्र पे ा करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रस्तुत वाद पत्र मात्र प्रतिकुल कब्जा के आधार पर पे ा होने के कारण मेन्टेबल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.02.28 17:30:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: